दिनांक 29.03.2024	
प्रेस विज्ञप्ति 32/2024	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से विशेष पुलिस महानिदेशक (से0नि0) सी0आई0एस0एफ0 द्वारा की गयी शिष्टाचार भेंट

आज दिनांक 29.03.2024 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में **श्री प्रशान्त कुमार** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से मंजरी जरूहर विशेष पुलिस महानिदेशक (सेवानिवृत्त) सी0आई0एस0एफ0 द्वारा शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं दी गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा विशेष पुलिस महानिदेशक (से0नि0) सी0आई0एस0एफ0 को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।

जनपद पीलीभीत/थाना पूरनपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 01 लाख रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.03.2024 को थाना पूरनपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बण्डा रोड से सुआबोझ गॉव की तरफ जाने वाली सड़क पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रामाशंकर उर्फ पप्पू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 01 लाख रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पूरनपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, जनपद बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत एवं उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में डकैती, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पूरनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामाशंकर उर्फ पप्पू निवासी बेलवा आलमदास थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर हालपता–गरिमा गार्डन पसोंडा थाना टीला मोड़, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लूटे गये 01 लाख रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद ललितपुर/थाना तालबेहट

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 जीवित कारतूस 315 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 29.03.2024 को थाना तालबेहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पावागिरि जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा पुरस्कार घोषित अभियुक्त लाखन सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 05 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तालबेहट पर पंजीकृत अभियोग धारा 398/401/414/307 भादवि व थाना ओरछा जनपद टीकमगढ़, म0प्र0 पर पंजीकृत अभियोग धारा 392/190/411 भादवि से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद ललितपुर से 25 हजार रूपये व जनपद टीकमगढ़, म0प्र0 से 05

हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध म0प्र0 व जनपद ललितपुर के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना तालबेहट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लाखन सिंह निवासी ग्राम खांदी थाना तालबेहट जनपद ललितपुर।

बरामदगी

1—05 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—02 जीवित कारतूस 315 बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद हरदोई/थाना कोतवाली शहर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 28.03.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहल्ला न्यू सिविल लाइन के निकट से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनुज कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनुज कुमार निवासी नानकगंज लखनऊ रोड थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **22 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **07 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 28.03.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यादराम के मकान, मिमलाना रोड से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्तों 1—जावेद 2—शमशाद 3—दानिश 4—तसलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 22 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 07 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जावेद निवासी खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2—शमशाद निवासी सरफराज दक्षिणी खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

3—दानिश निवासी महमूदा पन्नी फैक्ट्री वाली गली मोहल्ला किदवाई नगर थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर।

4—तसलीम निवासी दतियाना थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—22 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—07 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना छर्रा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 दो पहिया वाहन, 01 तीन पहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.03.2024 को थाना छर्रा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सलगवा मोड के पास से 02 अभियुक्तों 1–योगेश 2–हरवेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 दो पहिया वाहन, 01 तीन पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना छर्रा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–योगेश निवासी नगला नायक थाना दादो जनपद अलीगढ़।

2–हरवेन्द्र निवासी ववनपुर थाना सुनगढ़ी जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–चोरी की 05 दो पहिया वाहन, 01 तीन पहिया वाहन।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **21 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **02 जीवित, 04 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 28.03.2024 को थाना देवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टीपहार के जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त कालिका प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 21 निर्मित/अर्द्ध निर्मित

अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित, 04 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कालिका प्रसाद निवासी ग्राम कोहना थाना सदर जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी

1—21 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—02 जीवित, 04 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना बड़ागाँव

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 60 लाख रूपये कीमत के 268.47 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **01 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 28.03.2024 को थाना बड़ागाँव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईदीलपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—सैफअली 2—मो0मारूफ 3—अमानत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 60 लाख रूपये कीमत के 268.47 ग्राम अवैध हेरोइन, 01 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सैफअली निवासी ग्राम उसिया थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर।

2—मो0मारूफ निवासी वार्ड नं0—01 थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर।

3–अमानत निवासी मीरापुर चांदमारी थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी, मूलपता उसिया थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–लगभग 60 लाख रूपये कीमत के 268.47 ग्राम अवैध हेरोइन।

2–01 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन।

जनपद बुलन्दशहर/थाना स्याना

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब आदि बरामद**

दिनांक 29.03.2024 को थाना स्याना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पशु पैठ के पास खण्डहर से अभियुक्त राशिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना स्याना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राशिद निवासी ग्राम खरदौनी थाना इंचौली जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब आदि।

- **जनपद बागपत/थाना दोघट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 46 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना दोघट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307/452/504 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बिल्लू को सश्रम आजीवन कारावास व 46 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना अकराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना अकराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/323/506/342 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सोमेन्द्र को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना धनघटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विजय को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना गांधीपार्क (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना गांधीपार्क पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरवीर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना हरपालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना हरपालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राहुल 2–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के कारावास व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना मो0पुर खाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 08–08 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मो0पुर खाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/149/504/148/147 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नान्हू 2–बाबादीन 3–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 08–08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 07–07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रवीन्द्र कुमार 2–विकास 3–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के कारावास व 07–07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना चाँदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना चाँदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 4 व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुलोचन को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————